

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान अमरनाथ आदि बनाम मेहर सिंह आदि

प्रकरण संख्या 08 / 2022 अन्तर्गत धारा 212 RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
13 ⁰² / ₂₃	<p>प्राथमिक व प्रथमिक अधिकारता उपस्थित नहीं। प्राथमिक व प्रथमिक अधिकारता को क्रम-2 कर 3 बार आवान्य लगावाइ गई कोई उपस्थित नहीं आया। प्राथमिक का प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाकर प्रकरण में जारी अध्यापी विधेधारा दिनांक 03/03/2022 भी निरस्त की जाती है। पत्रावली निगति होकर नम्बर से क्रम होकर दाखिल दफ्तार है।</p>	



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

